BULANDSHAHRPOLICE

दिनांक- 22 दिसम्बर, 2024 **थाना- गुलावठी**

10,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी, चोरी के 8,500/- रुपये नकद, अवैध असलहा, कारतूस सहित गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 22.12.2024 को थाना गुलावठी पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए एक पुरस्कार घोषित अपराधी को बरमन्दपुर रेलवे अंडरपास के पास से चोरी के रुपये, अवैध असलहा, कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गुलावठी पर पंजीकृत मुअसं- 508/23 धारा 380/457 भादवि व मुअसं- 18/24 धारा 380/457 भादवि में लगातार फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 10,000- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत मुअसं- 781/23 धारा 380 भादवि में भी वांछित था। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना गुलावठी पर मुअसं- 478/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. इमरान उर्फ पंगा पुत्र शौकत निवासी फैजाना मदरसा के पास नई आबादी कस्बा व थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी-

1. 8,500 रुपये नकद (चोरी के)
2. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.12.2023 की रात्रि में थाना गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत मौ0 रामनगर में एक घर में चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना गुलावठी पर मुअसं- 508/23 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत हैं। जिससे संबंधित 5000/- रुपये बरामद किये गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा दिनांक 19/20.01.2024 की रात्रि में थाना गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत मौ0 सफाखाना में एक दुकान में चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना गुलावठी पर मुअसं- 18/24 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत हैं। जिससे संबंधित 1000/- रुपये बरामद किये गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा दिनांक 13.11.2023 की रात्रि में थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरायदूल्हा में एक घर में चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 781/23 धारा 380 भादवि पंजीकृत हैं। जिससे संबंधित 2,500/- रुपये बरामद किये गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त इमरान उर्फ पंगा का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 508/23 धारा 457/380 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 781/23 धारा 380 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 18/24 धारा 457/380 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 20/24 धारा 380/511 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 126/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 व 414 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 248//19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 व 414 भादवि थाना बिसरख जनपद बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
7. मुअसं- 432/19 धारा 395/397/412 भादवि थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
8. मुअसं- 695/19 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
9. मुअसं- 478/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

थाना गुलावठी पुलिस टीम-

1- श्रीमती सुनीता मलिक थाना प्रभारी गुलावठी
2- उ0नि0 धर्मेन्द्र यादव, उ0नि0 राजवीर सिंह
3- है0का0 संदीप, है0का0 शेखर यादव, का0 नितिन शर्मा

मीडिया सैल बुलन्दशहर